

नेपाल से अफीम लेकर भारत आ रहा था तस्कर, एसओजी टीम ने उसे दबोचा लिया

45 लाख की अफीम के साथ तस्कर को एसओजी ने पकड़ा

कार्रवाई

श्रावस्ती, संवाददाता। भारत नेपाल सीमा से साढ़े चार किलोग्राम अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 45 लाख रुपये बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तस्कर को जेल भेज दिया गया।

एसओजी, थाना सिरसिया व एसएसबी की संयुक्त टीम शनिवार देर रात सुरक्षा को लेकर भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में नेपाल से नशीला पदार्थ लेकर भारत आने वाला है। सूचना मिलते ही टीम सतर्क हो गई और मुखबिर के बताए स्थान पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान संयुक्त टीम को सीमा पिलर संख्या 632/2 व पिलर संख्या 633 के बीच एक व्यक्ति नेपाल से भारती क्षेत्र में प्रवेश करते दिखा। पास आते ही टीम ने संदिग्ध को दबोच लिया। जिसकी तलाशी ली गई तो



मामले का खुलासा करते एसपी घनश्याम चौरसिया।

उसके कब्जे से 4.500 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। बरामद अफीम को जब्त कर हुए टीम ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान आमिर अहमद पुत्र सत्तार निवासी आलकला थाना कैराना जनपद शमली के रूप में हुई। बरामद अफीम की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये बतायी जा रही है। तस्कर के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में एसओजी टीम प्रभारी नितिन यादव, सिरसिया थाना प्रभारी निरीक्षक राज कुमार सरोज,

राजपुर पुलिस चौकी प्रभारी चन्द्रोदय मिश्रा, उपनिरीक्षक पंकज कुमार गुप्ता, 62वीं वाहिनी एसएसबी सी कम्पनी सुइया के सहायक उपनिरीक्षक राजेन्द्र सिंह, मुख्य आरक्षी शशिभूषण, मुस्ताक अहमद, राम अवध, सुनील सिंह आदि शामिल रहे।

हरियाणा राज्य के पानीपत में होनी थी अफीम की बिक्री : भारत नेपाल से पकड़ी गई अफीम की बिक्री हरियाणा राज्य के पानीपत में होनी थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पकड़ा गया तस्कर सुइया क्षेत्र के

एसओजी, पुलिस व एसएसबी टीम ने सिरसिया थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से साढ़े चार किलोग्राम अफीम के साथ एक आरोपी पकड़ा है। अफीम की कीमत करीब 45 लाख रुपये है। मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है।

-घनश्याम चौरसिया, एसपी श्रावस्ती

भारत नेपाल सीमा को पार कर जनपद में प्रवेश कर रहा था। जिसे सीमा के अन्दर प्रवेश करते ही दबोच लिया गया। उसके कब्जे से साढ़े चार किलोग्राम अफीम बरामद हुई है। पृष्ठताछ में बताया है कि आमिर अहमद ने नेपाल में किसी सलमान नाम के नेपाली नागरिक से अफीम खरीदा था। जिसे वह श्रावस्ती के रास्ते हरियाणा राज्य ले जा रहा था। तस्कर की ओर से हरियाणा के पानीपत में अफीम की बिक्री की जानी थी। आरोपी आमिर अहमद लम्बे समय से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा रहा है।